न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2340–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–05–14 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल, प्रकरण कमांक 37/अपील/2011–12.

1–प्यारेलाल पुत्र नाथूराम जाति गौड़ (आदिवासी)
2–लखनलाल पुत्र श्री बृजलाल जाति गौड़ (आदिवासी)
3–छुट्टनबाई पुत्री श्री मंगलसिंह माता भंवरी बाई जाति गौड़ (आदिवासी)
4–रामकली पत्नी श्री सूरतसिंह जाति गौड़ (आदिवासी)
5–मोनाबाई विधवा लालाराम जाति गौड़ (आदिवासी)
सभी निवासी गण ग्राम थुआखेड़ा, कोलार रोड
जिला भोपाल

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–अयोध्याबाई पत्नी श्री कैलाश नारायण जाति पाटीदार
निवासी ग्राम मिसरोद तहसील हुजूर जिला भोपाल
2–रामकुवंर बाई पत्नी श्री हरिनारायण जाति पाटीदार
निवासी ग्राम सलैया तहसील हुजूर जिला भोपाल
3–श्री हेमंतकुमार आत्मज श्री हरिनारायण जाति पाटीदार
निवासी ग्राम सलैया तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....अनावेदकगण

श्री एस0के0श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एच0एल0झा एवं श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/3/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश 8–5–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा आयुक्त के समक्ष कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा प्रथम अपील प्रकरण कमांक 4/अपील/कले./2003–04 में दिनांक 25–8–2011 को पारित आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44(1) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई । प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान दिनांक 24–3–2014 को आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आयुक्त के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 170(घ) के अन्तर्गत द्वितीय अपील का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, अतः इस अपील की पुनरीक्षण के रूप में सुनवाई की जाये। प्रतिउत्तर में अनावेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि आवेदकगण द्वारा दिनांक 12–10–11 को अपील प्रस्तुत की गई है एवं दिनांक 24–3–14 का अत्यधिक विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो समय बाह्य होने से निरस्त किया जाये । आयुक्त द्वारा दिनांक 8–5–14 को अंतरिम आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 44(1) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि कलेक्टर द्वारा अपील में पारित आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44(2) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी । जहॉ तक संहिता की धारा 170(घ) के अन्तर्गत द्वितीय अपील का प्रावधान समाप्त किया जा चुका है । संहिता में दिनांक 30–12–2011 को संशोधन के फलस्वरूप आयुक्त के पुनरीक्षण के अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं । यदि आवेदकगण द्वारा संहिता में संशोधन के पूर्व अपील को पुनरीक्षण से परिवर्तन का निवेदन किया जाता है तब उसमें विचार किया जाता, इस स्थिति में नहीं, आवेदकगण की अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ इस प्रकरण के निराकरण के लिये केवल यही बिन्दु विचारणीय है कि क्या आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समाप्त करने में अवैधानिकता की गई है अथवा नहीं ?

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से इस संबंध में केवल यही आधार उठाया गया है कि आवेदकगण आदिवासी है और अनावेदकगण द्वारा उनकी भूमि छलकपट पूर्वक प्राप्त कर ली गई है, अतः न्यायहित में संहिता की धारा 50 सहपठित धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रकरण कमांक

37/अपील/11–12 को स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाये । निगरानी मेमों में उठाये गये अन्य आधार गुणदोष पर होने से उनका उल्लेख किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

5/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस संबंध में लिखित तर्क में केवल यही आधार उठाया गया है कि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता में संशोधन अधिनियम 2011 दिनांक 3012–11 के अनुसार आयुक्त के पुनरीक्षण के अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं और संहिता की धारा 170(घ) के अन्तर्गत द्वितीय अपील का प्रावधान समाप्त किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण को सुनवाई का क्षेत्राधिकार आयुक्त को नहीं होने से उनके द्वारा अपील प्रकरण को समाप्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये अन्य आधार गुणदोष पर होने से उन पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त के समक्ष कलेक्टर द्वारा अपील प्रकरण कमांक 04/अपील/कले./03–04 में पारित आदेश दिनांक 25–8–2011 के विरूद्ध संहिता की धारा 44 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि कलेक्टर द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44 (2) के अंतर्गत द्वितीय अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी । संहिता की धारा 170–घ में संहिता की धारा 170–क एवं 170–ख के अधीन पारित आदेशों के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रतिबंधित है, इस कारण भी आयुक्त को द्वितीय अपील सुनने की अधिकारिता नहीं थी । संहिता में दिनांक 30–12–2011 को हुए संशोधन के फलस्वरूप आयुक्त की निगरानी की शक्तियां भी समाप्त कर दी गई है, ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा निगरानी में भी सुनवाई नहीं की जा सकती थी, इसलिए आयुक्त द्वारा अपील को द्वितीय अपील अथवा निगरानी में परिवर्तित करने का कोई औचित्य नहीं था । अतः आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समाप्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा कलेक्टर के प्रकरण कमांक 37/अपील/11–12 को स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाये, क्योंकि जहां आवेदक अपने कर्तव्यों के प्रति सजग न

हो, वहां उसे लाभ पहुंचाने की दृष्टि से स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की जाना न्यायसंगत नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–5–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर